# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
## पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 557/2018

प्रार्थीः–
तहसीलदार (भूमिधारक), पाली

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. श्री बद्रीलाल पुत्र श्री बंशीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा पाली के का0मु0
   - 1/1 श्री आनंद
   - 1/2 श्री प्रकाश
   - 1/3 श्री बालकिशन
   - 1/4 श्री कमल
   - 1/5 श्री अशोक पिसरान श्री बद्रीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
2. बेला पुत्री श्री बद्रीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
3. भंवरीदेवी पत्नि श्री बद्रीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
4. श्री मदनलाल पुत्र श्री बंशीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
5. श्री गोविंदराम पुत्र बंशीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
6. श्रीमती सायरी देवी पुत्री श्री बंशीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
7. श्री शिवनारायण पुत्र श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
8. श्री प्रहलाद पुत्र श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
9. श्री राजेश पुत्र श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
10. कन्या पुत्री श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी पाली
11. सरस्वती पुत्री श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
12. आशा पुत्री श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
13. दुर्गादेवी पत्नि श्री रामकिशन जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
14. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि श्री जीवराज शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जंगीवाड़ा, पाली
15. श्री रामकिशन पुत्र श्री हस्तीमल जाति कलाल निवासी पाली
16. श्री राजाराम पुत्र श्री सवाराम कौम मीणा निवासी कानेलाव
17. श्री गिरधारी पुत्र श्री बालाराम जाति ब्राह्मण निवासी कूरना
18. श्री जीवराज पुत्र श्री बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाली

उपस्थितिः–

1. श्री केसर सिंह राठौड़, तहसीलदार (सरकारी पैरोकार)

Rohit
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

## वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

**—:आदेश:—** दिनांक 28.02.2020

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद गुन्दोज प्रथम पटवार मण्डल गुन्दोज प्रथम स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा किस्म बारानी दोयम भूमि अप्रार्थीगणो के खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा किस्म बारानी दोयम अप्रार्थीगणो की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसका वर्तमान मे उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार किसी प्रकार का संपरिवर्तन किया हुआ नहीं है। अप्रार्थीगणो ने उक्त कृषि भूमि का बगैर किसी वैध अनुमति अथवा आज्ञा प्राप्त किये खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा कृषि भूमि पर आवासीय भूखण्ड सड़क पत्थर गढ़ी बनाकर कृषि भूमि का अकृषि के रूप मे उपयोग किया जा रहा हैं जिससे कृषि भूमि का भौतिक स्वरूप एवं उर्वरता शक्ति को नष्ट कर उत्पादकता को खत्म किया गया है। इस प्रकार खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा मे अप्रार्थीगणो द्वारा उक्त भूमि पर से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। सरहद मौजा गुन्दोज प्रथम मे स्थित खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 किस्म बारानी दोयम भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावें।

2. प्रार्थना—पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी के नाम धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र अ नियम 60 के तहत नोटिस जारी किया गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16,18 व 19 बावजुद नोटिस तामिल के न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुये इस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2019 को इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा दिनांक 13.04.2019 को अप्रार्थी संख्या 17 को पर्याप्त अवसर एवं समय दिये जाने के बावजुद जवाब पेश नहीं किया इसलिये जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

3. बहस सुनी गई।

4. सरकारी पैराकार ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि सरहद गुन्दोज प्रथम पटवार मण्डल गुन्दोज प्रथम स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा किस्म बारानी दोयम भूमि अप्रार्थीगणो के खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा किस्म बारानी दोयम अप्रार्थीगणो की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसका वर्तमान मे उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार किसी प्रकार का संपरिवर्तन किया हुआ नहीं है। अप्रार्थीगणो ने उक्त कृषि भूमि का बगैर किसी वैध अनुमति अथवा आज्ञा प्राप्त किये खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा कृषि भूमि पर आवासीय भूखण्ड सड़क पत्थर गढ़ी बनाकर कृषि भूमि का अकृषि के रूप मे उपयोग किया जा रहा हैं जिससे कृषि भूमि का भौतिक स्वरूप एवं उर्वरता शक्ति को नष्ट कर उत्पादकता को खत्म किया गया

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

है। इस प्रकार खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा मे अप्रार्थीगणो द्वारा उक्त भूमि पर से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। सरहद मौजा गुन्दोज प्रथम मे स्थित खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 किस्म बारानी दोयम भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावें।

5. बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने के बाद पाया कि ग्राम सरहद गुन्दोज प्रथम पटवार मण्डल गुन्दोज प्रथम स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा किस्म बारानी दोयम भूमि अप्रार्थीगणो के खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा किस्म बारानी दोयम अप्रार्थीगणो की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसका वर्तमान मे उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार किसी प्रकार का संपरिवर्तन किया हुआ नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट और तहसीलदार पाली के प्रार्थना पत्र से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थीगणो ने उक्त कृषि भूमि का बगैर किसी वैध अनुमति अथवा आज्ञा प्राप्त किये खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा कृषि भूमि पर आवासीय भूखण्ड सड़क पत्थर गढ़ी बनाकर कृषि भूमि का अकृषि के रूप मे उपयोग किया जा रहा हैं इस प्रकार खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा मे अप्रार्थीगणो द्वारा उक्त भूमि पर से गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर सरहद ग्राम सरहद गुन्दोज प्रथम पटवार मण्डल गुन्दोज प्रथम स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा किस्म बारानी दोयम भूमि से अप्रार्थी को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार, पाली तत्काल उक्त भूमि का कब्जा राज्य पक्ष में प्राप्त कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। इस आदेश की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 18:12:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: